


रामी आदि बनाम स्टेट आदि
प्रकरण संख्या 96/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13.10. 2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाए फरिकैन उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुई। वादीगण साक्ष्य करवाना नहीं चाहते। वकूलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार से जाहिर होता है कि वादी सं. 1 का सही नाम रामी पत्नी दुनीराम व वादी सं. 2 का सही नाम रमेश कुमार पुत्र दुनीराम है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए चक 3 केकेएसएम के खाता सं. 18/19 की 6.793 है. सांझा खाता की कृषि भूमि में दर्ज वादी सं. 1 का नाम रामी देवी पत्नी दुनीराम जाति जाट निवासी न्योलखी के स्थान पर रामी पत्नी दुनीराम जाति जाट निवासी न्योलखी हाल निवासी किकरालिया व वादी सं. 2 का नाम रमेश पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी न्योलखी के स्थान पर रमेश कुमार पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी न्योलखी हाल निवासी किकरालिया तहसील रावतसर दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक जज सचिव न्यायकारी रावतसर </p>	

